

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

17 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 238/XXVII(9)/2014/स्टाम्प-11/2013—श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार/राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें लोक प्रयोजन हेतु दान स्वरूप निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, की भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 01-11-2014, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 वित्त/706-12-11-2014-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।